न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04/2026 राजस्व अपील

1. लक्ष्मण पुत्र बिशन्या जाति मीना निवासी अगावली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 07.01.2026 प्रकरण संख्या 61/2025 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री धर्मसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 23.03.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का अगावली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट ने ग्राम अगावली में खसरा नम्बर 528 रकबा 0.50 है0 चरागाह भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व नोटिस जारी किये गये व अप्रार्थी दिनांक 31.12.2025 को न्यायालय में उपस्थित हुआ व उपस्थिति हेतु ओर्डरशीट पर हस्ताक्षर किये तथा जवाब का समय मांगा। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ओर्डरशीट में गलत तरीके से जवाब पेश नहीं करने का तथ्य अंकित कर उसी रोज पटवारी के बयान लेकर निर्णय हेतु दिनांक 07.01.2026 नियत कर दी तथा अपीलान्ट को तीन माह का सिविल कारावास पैनेल्टी से दंडित करने के अवैध आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश दिनांक 07.01.2026 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून नियम, उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट दिनांक 31.12.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था व उपस्थिति हेतु हस्ताक्षर किये थे तथा जवाब का समय चाहा था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऑर्डरशीट में जवाब न पेश किया जाना अंकित कर मनमाने तरीके से उसी रोज पटवारी के बयान लेकर दिनांक 7.1.2026 को निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक है। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पीड़ित पक्ष को पूर्ण जवाब व सबूत का अवसर दिया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत न होते हुए भी अपीलांट को सजा करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर न तो अतिक्रमण किया है और न ही काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान भी प्रार्थी के सामने नहीं हुए और न ही अपीलांट को जिरह का मौका दिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 7.1.2026 को निरस्त फरमावें। अपीलांट की ओर से प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं होने तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत् 2082 में प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 528 रकबा 42.39 है0 में से 0.50 है0 किस्म चरागाह पर गेहूँ की काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का अगावली द्वारा करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस तामील प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था। अपीलान्ट अतिकमी द्वारा संवत 2081 में भी अतिक्रमण किया गया था। अपीलान्ट द्वारा संवत 2082 में पुनः अतिक्रमण कर लिया। जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा व लगान का 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 7.1.2026 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया तथा पटवारी हल्का से जिरह का भी अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं होने तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.1.2026 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

23/3/26

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा